[Shri Swaran Singh]

at the Chief Secretaries' Conference is the reciprocal arrangements on the basis of mutuality for the use of enclaves in the territories of the two countries. In reply to an earlier question some days ago I said that those were Indian territories; those Indian enclaves within Pakistan territory are Indian territory and they are in our domain.

Shrimati Jyotsna Chanda (Cachar): I want to know one thing. He has not made any statement regarding the Cachar border, Latitila Dhunabari sector. Will he kindly make a statement about Pakistani firing on that border?

Shri Swaran Singh: The calling attention notice did not specifically cover this. But I have said that the two High Commissioners will discuss this also in their talks.

Shri Kapur Singh: Sir, may I make a short submission with your permission? About four or five days back..

Mr. Speaker: He has not told me what he wants to say. If this procedure is adopted, it will create difficulties. He may convey to me what he wants to say. Papers to be laid.

12·42 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification under Motor Vehicles Act

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. F. 21 (11) |64 -PR(T) published in Delhi Gazette dated the 7th January, 1965 making certain amendments to the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940, under sub-section 3 of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [*Placed in Library. See* No. LT-4088/65].

Audit Report of Animal Welfare Board, Madras

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report on the Annual Accounts of the Animal Welfare Board, Madras, for the year 1963-64. [*Placed in Library, see* No. LT-4089/65].

Mr. Speaker: Secretary to report three messages.... (*Interruptions.*) Order, order. Let him report the messages.

12.43 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"(1) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th March, 1965, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.

(2) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Kerala Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965, which was passed by

the Lok Sabha at its sitting held on the 26th March, 1965, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.

(3) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of Rule 186 of he Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Kerala Appropriation Bill, 1965, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th March, 1965, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कार्यक्रम पत्रिका के विषय संख्या 5 पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आज्ञा हो तो क्या मैं इसको उठा सकता हूं ?

इसको कार्यक्रम पत्रिका से बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि संविधान की जो 204 धारा है, इसकी इस में हत्या होती है। बार बार यह सवाल उठता है, इस वास्ते मुझे जरा विस्तार से पूरी बात को रखने का आप मौका दीजिये। में समझता हूं कि बिल्कुल गैर-कानूनी ढंग से और संविधान के खिलाफ जा कर हम इस वक्त काम कर रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि यह कोई मौका नहीं है कि जिस वक्त आप कोई कांस्टीट्यूशन का प्वाइंट, व्यवस्था का प्वाइंट उठा सकें। वहां से जो इत्तिला आई, जो मैसेज आया, यह तो उसको पढ़ा जाना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। व्यवस्था का सवाल इस वक्त नहीं उठ सकता है और इसलिए मैं इसको अब लेने के लिए तैयार नहीं हूं। इस वक्त

श्री मधु लिमये : मुझे आप अवसर दें, मेरी बात को आप सुनें तब तो पता चलेगा कि व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है या नहीं। हम को इस का अधिकार नहीं है। जो बात हमारे अधिकार के बाहर की हो, उसको करना मैं समझता हूं सदन को शोभा नहीं देता है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न . . .

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप मुझे अलहदा नोटिस दीजिये। इसको अब कैसे हम ले सकते हैं . . .

श्री मधु लिमये : जब आक्षेप उठाया गया हो संविधान के आधार पर . . .

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ रखे जाने पर नहीं हो सकता है।

श्री मधु लिमये : मेरा आक्षेप है कि इसको न रखा जाये। मुझे अर्ज करने दीजिये। मैं कोई कार्रवाई में बाधा डालने की दृष्टि से यह नहीं कर रहा हूं। दिन रात मैं इसी पर सोच रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिये। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है यह सवाल इस वक्त नहीं उठ सकता है। सिर्फ एक मैसेज आया है और उसको पढ़ा गया है। यह लाजिमी है। इस पर सवाल नहीं उठ सकता है।

श्री मधु लिमये : इसी पर आक्षेप है।

अध्यक्ष महोदय : तो आप अलहदा नोटिस दीजिये।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : इसको पढ़ा जा चुका है। उस पर जो एतराज है उसको आप सुन लें और उसके बाद आप जो भी व्यवस्था देंगे, वही तो मानी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : केरल का सवाल इस तरह से अगर हर रोज उठता रहे तो में कैसे . . .

श्री मधु लिमये : रोज नहीं होगा । आखिरी दिन है । फैसला इस पर आप होने दीजिये । आप के हाथ में फैसला है ।

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Sir, there is one point. You have already given a ruling that the point of order cannot be raised on this question.

Mr. Speaker: Let me hear; if I am wrong I will revise it. I will request him to sit down. He wants this to be decided once for all.

श्री मधु लिमये : मैंने इसलिए आक्षेप उठाया है कि केरल का यह जो बजट है इसके बारे में मेरा खयाल है कि यह संसद् कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि केरल के बजट पर और इस विधेयक पर विचार करने का अधिकार केरल में जो नई विधान सभा चुनी गई है, उसी को है और उसके इस अधिकार को हम छीन नहीं सकते हैं । वह कैसे है, यह मैं संक्षेप में आप को बतलाना चाहता हूं ।

24 तारीख को जाकिर हुसैन साहब ने राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के मातहत एक घोषणा की जिस के अन्तर्गत केरल की विधान सभा को बरखास्त किया गया, यह आप जानते ही हैं । मेरा निवेदन है कि केरल की विधान सभा को बरखास्त करने का राष्ट्रपति को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है । जो अधिकार उनको मिला है वह धारा 356 के अन्तर्गत मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : 356 हम कर चुके हैं

श्री मधु लिमये : पूरी बात तो कहने दीजिये । बड़े बड़े सवाल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस वक्त इजाजत नहीं दे सकता हूं । जब केरल के बजट का सवाल आया तब हम को उस पर बहस करने का अधिकार था या नहीं था, उस को हम पास कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, आया जाकिर हुसैन साहब कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये सब सवाल इस वक्त पैदा नहीं होते हैं । जो हम ने कर दिया अगर वह गलत था तो उसके ऊपर कोर्ट्स को अख्त्यार है, जो कुछ वे चाहें दखल दें । जो कुछ हो चुका उसके बारे में हम यह कहें कि हक नहीं था तो उसको मैं रखने की इजाजत नहीं दे सकता हूं । इस बात का सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता है ।

श्री मधु लिमये : पूरी बात होने दीजिये । मैं आपका अधिक समय लेने वाला नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अधिक हो या कम, जिस बात की जरूरत नहीं है . . .

श्री मधु लिमये : यह ज्यादती हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है ।

श्री मधु लिमये : कई पहलू हैं इस सवाल के . . .

अध्यक्ष महोदय : कई पहलू नहीं सुन सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट भी नहीं दे सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : आप ने तो कहा था कि व्यवस्था का प्रश्न मैं उठा सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न मैंने सुन लिया है ।

श्री मधु लिमये : पूरा नहीं हुआ है मेरा व्यवस्था का प्रश्न । आप ने बीच में ही मना कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : बस, अब नहीं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन आप सुन तो लें ।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया है ।

श्री मधु लिमये पूरी बात में पांच मिनट के अन्दर रख दूंगा ।

श्री नृत्यालु राव (महबूबनगर) : माननीय सदस्य कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : दस बार मैं कह चुका हूं उनको कि जो सवाल यहां खत्म हो उसको मैं बार बार रखने की इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : यह हुआ नहीं है । मैंने अलग सवाल उठाया है, वह अभी खत्म नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मना कर रहा हूं तब भी आप बोले चले जायेंगे ।

श्री मधु लिमये : मेरी बात तो आगे आयेगी, अभी तो मैं केवल पृष्ठभूमि बतला रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । अब मैं और कुछ नहीं कहने दे सकता ।

श्री मधु लिमये : यह गैर कानूनी काम हो रहा है । इसलिये मैं ने कहा कि कोई अधिकार नहीं है हमें इस तरह की कार्रवाई करने का ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात खत्म करेंगे या नहीं ।

श्री मधु लिमये : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह कानून की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कानून की कोई बात नहीं है ।

श्री मधु लिमये : आप मेरी बात तो सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने बात की व्यवस्था की । मैं ने व्यवस्था वाली बात सुन ली । आप ने कोई नया प्वाइंट नहीं बतलाया ।

श्री मधु लिमये : मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा और कभी भी बाद में इस मसले को नहीं उठाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब और इस पर बहस नहीं हो सकती ।

श्री मधु लिमये : यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है ।

श्री रामसेवक यादव : माननीय सदस्य की बात सदन को सुन लेनी चाहिये

अगर यहां कुछ कहा जाता है और आप कहते हैं कि इस से कार्य में रुकावट पड़ती है, तो यह तो बड़ी विचित्र बात है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब कुछ नहीं ।

12.51 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

SEVENTY-FOURTH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Seventy-fourth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Home Affairs—Directorate of Manpower, and Institute of Applied Manpower Research, New Delhi.

12.51½ hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

FIRST REPORT

Shri P. G. Menon (Mukundapuram): I beg to present the First Report of